22-8-2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अपीलार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा ग्राम जैला, पटवार हल्का जेला के नामामान्तरकरण संख्या 354 को अस्वीकृत करने के पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 के विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना प्रतीत होता है, जिसमें प्रार्थी अपीलार्थीगण की कोई बदनियति व लापरवाही नही रही है। प्रार्थी अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण में पारित आदेश की जानकारी होने से अन्दर मियाद 30 दिन में अपील प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली इसी मुंताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:38:16 IST
Reason: SelfAttested